हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी ~~राज्य कार्य~~ बाहर दौरे व तारीख रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कार्यालय पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 25-5-22 को पेश होवे।

25-5-22 पत्रावली पेश हुई प्रार्थीगण के अधिवक्ता उप. प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाकर निस्तारण किया जा रहा है संक्षेप निम्न इस प्रकार है कि

प्रार्थीगण ने प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल-आर एक्ट में प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि खाता स.87 खसरा स. 163 रकबा 0.32 हैक्टर ख.स. 439 रकबा 2.53 हैक्टर वाके ग्राम खेड़िया दुर्जन तहसील इन्द्रगढ़ में स्थित है। जिसमे प्रार्थीगण 3/4 हिस्से के संयुक्त खातेदार कृषक है। प्रार्थीगण ने अपनी कृषि भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 23-6-2020 को करवाया गया जिसमे प्रार्थीगण की कृषि खसरा संख्या 439 रकबा 2.53 हैक्टर में थोड़ी सीमा अप्रार्थीगण 1 ~~की~~ लगायत 3 की कृषि भूमि ख.सं. 455 रकबा 1.95 हैक्टर की तरफ बढ़ी हुई है। अप्रार्थीगण सीमा चिन्हो को लगाने में व्यवधान पैदा कर रहे। और निवेदन किया प्रार्थीगण की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी करवाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 बावजूद तामील नोटिस हाजिर न्यायालय नहीं हुए न ही प्रार्थना-पत्र का खण्डनात्मक जवाब पेश किया गया इस पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां/वाडेरी (बून्दी)

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	हमारे द्वारा प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 23-6-2020 को सीमाज्ञान कराया गया जिसकी सत्यापित प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है कई मौका रिपोर्ट के मुताबिक अप्रार्थीगण ने मौका सीमाज्ञान पर हस्ताक्षर करने मना किया गया अंकित है जिससे साबित है कि सीमाचिन्हों को चिन्हित किये जाने पर अवरोध उत्पन्न हो रहा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार इन्द्रगढ़ को आदेश दिया जाता है कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज सभी सहखातेदार एवं अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 की उपस्थिति में प्रार्थीगण का पुनः सीमाज्ञान करवाया जाकर प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा सं. 163 रकबा 0.32 हैक्टर ख.सं. 439 रकबा 2.53 हैक्टर वाके ग्राम खेड़िया दुर्जन तहसील इन्द्रगढ़ की सीमाओं को चिन्हित कर पत्थरगढी करवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 25-5-22 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)